तारीख हुक्म | **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** | **नंबर व अहकाम हुक्म की ... में जारी ...**

रामजीलाल
उनवान सरकार बनाम ...सुरजमल...

88, 188 RTA

मुकदमा नं० 140/14 निर्णय दि० 6.10.24

31/8/24 — ... हड़ताल, वकीलों द्वारा कार्य
स... ...कार्य में व्यस्त,
दौरे पर ... ...छुट्टी
तारीख दी ... 24/09/24
को पेश हो।

24/9/24 — पत्रावली बहस हेतु पेश। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। बहस दावा सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 6.10.24 को पेश हो।

6.10.24 — पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व उभय पक्षों की बहस के कथनों पर गौर किया गया।
वादी रामजीलाल, प्रति. 1 के पिता मूलचंद पुत्र गंगाधर द्वारा रहन रखी भूमि जो ग्राम रीसराय के खाता सं. 567 (सं. 2068-71) में गंगासहाय पुत्र बद्रीप्रसाद महाजन के नाम सहित दर्ज है, पर कब्जे के Adverse Possession के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहता है।
प्रतिवादीगण अशोक, ओमप्रकाश पि. गंगासहाय महाजन द्वारा दि. 15.7.15 को जवाबदावा पेश कर प्रश्नगत भूमि, वादी के पिता द्वारा, उनके पास रहन रखने का कथन किया गया।
इसी भूमि बाबत वाद सुरजलाल बनाम राजस्थान सरकार वाद सं. 131/2015 को इस वाद के साथ दि. 6.1.24 को समेकित किया गया। समेकित पश्चात 8.2.24 को तनकी बनाम विरचित की गयी।
वादी रामजीलाल द्वारा अपने समर्थन में दो शपथ पत्र पेश किये गये।
प्रतिवादी अधिवक्ता पुनीत शर्मा (सुरजलाल पुत्र मूलचंद) द्वारा सीधी बहस का आग्रह किया गया।
वादी अधिवक्ता द्वारा तनकीवार बहस की गयी तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष की तनकी को साबित करने हेतु बहस की गयी।
वाद का तनकीवार विश्लेषण निम्न प्रकार है:—
तनकी सं. 1 → आया वादी विवादित भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का अधिकारी है — वादी
वादी ने अपने कब्जे के सम्बंध में दो शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी पक्ष का तर्क रहा कि Adverse Possession के आधार पर खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती है

— लगातार...

6.10.24

मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्डाधिकारी सिकराय दौसा

रामखिलाल सरकार बनाम सुखराम

किस्म मुकदमा 88/188 RTA मु० नं० 140/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिक प्रावधानों अनुसार राजस्व न्यायालय को Adverse Possession के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा की अधिकारिता प्राप्त नहीं है अतः यह तनकी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है तनकी सं. 2 → वादी विवादित भूमि का इन्द्राज अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है — वादी तनकी सं. 3 → वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है — वादी तनकी सं. 1 के विवेचन पश्चात वादी खातेदारी घोषणा का अधिकारी नहीं है अतः वह राजस्व रिकार्ड में entry व स्थायी निषेधाज्ञा पाने का भी अधिकारी नहीं है अतः तनकी सं. 2 व 3 वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है तनकी सं. 4 व 5 वादी को घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा से रोकने बाबत है, जिसकी अलग से विवेचना की आवश्यकता नहीं है विधिक प्रावधानों अनुसार किसी खातेदारी भूमि को निजी व्यक्ति 5 वर्ष तक और अधिकतम 15 वर्ष तक ही रहिन रख सकता है। अतः प्रश्नगत भूमि पर रहिन का जो इन्द्राज गंगासहाय पुत्र बद्री महाजन के पक्ष में किया गया है, विधि विरुद्ध है तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर रहिन इन्द्राज समाप्त करें। प्रतिवादी सं. 1 सुखलाल पुत्र मूल्या जाति मीणा प्रश्नगत भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने तथा आवश्यक होने पर बेदखली वाद लाने हेतु स्वतंत्र है मुताबिक आदेश डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।	

(रणजीत सिंह)
6.10.21